Government of Rajasthan
Finance (Ways & Means) Department

क्रमांकः एफ.11(1)विमा/99 जयपुर, दिनांक 05/06/2026

आदेश

विषयः– स्थानीय निकायों, स्वायत्तशाषी संस्थानों और राजकीय कम्पनियों इत्यादि द्वारा ब्याज सहित निजी निक्षेप खातों में रखी गई निधि/राशि पर देय ब्याज।

इस विभाग के समसंख्यक संशोधित आदेश दिनांक 07.07.2025 की निरन्तरता में वर्ष 2026–27 हेतु स्थानीय निकायों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों इत्यादि के ब्याज सहित निजी निक्षेप (पी.डी.) खातों में जमा राशि पर दिनांक 01.04.2026 से तीन माह या इससे अधिक की जमाओं पर **2.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर** से ब्याज के भुगतान हेतु राज्यपाल महोदय की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। तीन माह से कम अवधि की जमाओं पर कोई ब्याज देय नहीं है।

(हरीश लड्ढा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त संबंधित संस्थाएं– बोर्ड/निगम/जिला परिषद इत्यादि।
8. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित) ।
9. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, राजस्थान।
10. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव